न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला शाहपुरा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्री मुकेश कुमार मीणा, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या – **258/2023**

उनवान

लादु पुत्र नगजी मुतबन्ना देवा कुम्हार निवासी मिण्डोलिया तहसील शाहपुरा

– प्रार्थी

बनाम

1– लादु पुत्र धन्ना चमार निवासी मिण्डोलिया तहसील शाहपुरा
2– घीसू पुत्र खाना शर्मा निवासी मिण्डोलिया तहसील शाहपुरा
3– तेजपाल पुत्र रामनिवास शर्मा निवासी मिण्डोलिया तहसील शाहपुरा
4–6 खाना, महावीर, कैलाश पिसरान रामदयाल शर्मा निवासी मिण्डोलिया तहसील शाहपुरा
7– बालु पिता राजु मीणा निवासी मिण्डोलिया तहसील शाहपुरा
8– मु. चन्द्रा पत्नी देवेन्द्र शर्मा निवासी मिण्डोलिया तहसील शाहपुरा
9–11 बद्री, रामलाल, मथरा पुत्र भागीरथ गाडरी निवासी मिण्डोलिया तहसील शाहपुरा
12–14 हीरा, रामकुंवार, नारायण पुत्र उदा गाडरी निवासी मिण्डोलिया तहसील शाहपुरा
15–16 बक्षु, मोती पुत्र हजारी गाडरी निवासी मिण्डोलिया तहसील शाहपुरा
17–18 श्रवण, बन्ना पुत्र कजोड़ गाडरी निवासी मिण्डोलिया तहसील शाहपुरा
19– भोजु पुत्र गाडरी निवासी मिण्डोलिया तहसील शाहपुरा
20– मोती पुत्र नगजी कुम्हार निवासी मिण्डोलिया तहसील शाहपुरा

– विपक्षीगण

उपस्थिति :– **श्री अनिल कुमार शर्मा** : **अधिवक्ता प्रार्थी**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

–:: निर्णय ::–

दिनांक– **26/02/2024**

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है – **ग्राम पेटा उम्मेदसारग पटवार हल्का रूघनाथपुरा** तहसील शाहपुरा जिला शाहपुरा में स्थित **आराजी नम्बर 1017 रकबा 0.14 है0, 1030 रकबा 0.36 है0, 1032 रकबा 0.20 है0, 1033 रकबा 0.10 है0, 1034 रकबा 0.12 है0, 1035 रकबा 0.33 है0, 1036 रकबा 0.20 है0, 1038 रकबा 1.28 है0, 1039 रकबा 0.30 है0, 1067 रकबा 0.05 है0, 1068 रकबा 0.05 है0, 1081 रकबा 0.02 है0, 1082 रकबा 0.50 है0, 1166 रकबा 0.20 है0, 1167 रकबा 0.18 है0, 1018 रकबा 0.25 है0, 1019 रकबा 0.75 है0, 1020 रकबा 0.24 है0, 1022 रकबा 0.03 है0, 1029 रकबा 0.29 है0, 1428 रकबा 0.19 है0, 1945/4 रकबा 0.51 है0, 3 रकबा 0.50 है0** कुल किता 25 रकबा 7.44 हैक्टेयर का प्रार्थी **सहखातेदार काश्तकार** है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी करवाई जावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 13.02.2024 को विपक्षीगण **सं0 1, 2, 3, ,7, 9 लगायत 20** बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही की गयी। एवं विपक्षीगण सं0 **4, 5, 6, 8** के विरूद्ध अभिभाषक **प्रार्थी** द्वारा कोई कार्यवाही नहीं चाहने से उनके विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप की गयी। एवं प्रकरण वास्ते बहस के नियत किया गया। प्रकरण में दिनांक 26.2.2024 को बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी **ग्राम पेटा उम्मेदसारग पटवार हल्का रूघनाथपुरा संवत 2073 से 2076** तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् प्रार्थी के **सहखातेदारी** में दर्ज होकर प्रार्थी अपनी उक्त आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र **आंशिक स्वीकार** किया जाकर मौजा **पेटा उम्मेदसारग** में स्थित प्रार्थी की उपरोक्त **सहखातेदारी** की आराजीयात् में से **आराजी नम्बर 1068, 1081 रकबा क्रमशः 0.05 है0, 0.02 है0 किस्म क्रमशः गेमु. रास्ता, गेमु. डोरी होने से उक्त आराजियात को छोड़कर शेष किता 23 रकबा 7.37 हैक्टेयर** की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नही करते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु **कमिशन फीस 3000/–** रूपये कायम किये जाते है, जो प्रार्थी से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **26/02/2024** को सरे ईजलास सुनाया गया।

(मुकेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला शाहपुरा

प्रतिलिपि :– तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला शाहपुरा